न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व विविध :– 134/2016

1. दयासिंह पुत्र श्री सरदुलसिंह जाति कम्बोसिख निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 12.11.2016**

प्रार्थी दयासिंह पुत्र श्री सरदुलसिंह जाति कम्बोसिख निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे एवं पटवारी हल्का कालिया व भू. अभिलेख निरीक्षक कालिया की रिपोर्ट तथा उपतहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट की रिपोर्ट दिनांक 23.08.2016 के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 100/74–120 तथा चक 4 जे बड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 92/83 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि प्रार्थी द्वारा निम्न खाता की भूमि पर यदि किसी बैक से ऋण आदि ले रखा हो तो भार मुक्त होनें पर निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तनान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	चक 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर	100/74--120	दयासिंह उर्फ देवेन्द्रसिंह पुत्र सरदूलसिंह	दयासिंह पुत्र सरदूलसिंह
2.	चक 4 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	92/83	दयासिंह उर्फ देवेन्द्रसिंह पुत्र सरदूलसिंह	दयासिंह पुत्र सरदूलसिंह

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर